न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 15/2024/विविध प्रार्थना पत्र

बजरंगसिंह शेखावत पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दुजोद, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर, हाल निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने, सुभाष कोलोनी, देवीपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर

—आवेदक

बनाम

1. पावर ग्रिड भादला II ट्रान्समिशन लिमिटेड जरिये परियोजना प्रमुख महाप्रबन्धक लाईन इन्चार्ज 6 सी—104 जयनारायण व्यास कोलोनी बीकानेर (राज.) 334001
2. पावर ग्रिड भादला II ट्रान्समिशन लिमिटेड जरिये उप महाप्रबन्धक सीकर II प्लाट नं0 2, 3 गजानन्द वाटिका जयपुर बीकानेर बाईपास देवीपुरा सीकर 332021

—अनावेदक

उपस्थितः—

1. श्री सूरजभान सिंह, अधिवक्ता आवेदक की ओर से।
2. श्री विक्रम शर्मा, अधिवक्ता अनावेदक की ओर से।

प्रार्थना पत्र अं.धा. 16 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट
सपठित धारा 164 विद्युत अधिनियम 2003 आवेदन स्थगन अं.धा. 151 जा.दि.

आदेश

दिनांकः 30 अक्टूबर, 2025

1. आवेदक **बजरंगसिंह शेखावत** की ओर से यह प्रार्थना पत्र अं.धा. 16 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट सपठित धारा 164 विद्युत अधिनियम 2003 आवेदन स्थगन अं.धा. 151 जा.दि. वकील **श्री सूरजभान सिंह** द्वारा पेश किया गया है। आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

   (1) अप्रार्थीगण की 765 के.वी.डबल सर्किट हाईटेन्शन लाईन भादला II सीकर II लाईन भादला बीकानेर से ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में से ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं0 1.3 14, 15 से होकर आगे जाना प्रस्तावित है। ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा नंम्बर 666 रकबा 2.19 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 898 रकबा 0.03 हेक्टेयर अवस्थित है। खसरा नम्बर 666 में दो ट्यूबवेल हैं जिनमें सोलर व विद्युत चलित पम्पिंग

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

सेट लगे हुये है तथा पुख्ता रिहायशी मकानात बने हुये है जिनमें विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अप्रार्थीगण की जो विद्युत लाईन ले जाना प्रस्तावित है वह भादला बीकानेर से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 664, 666, 898 के मध्य में से होकर ले जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त हाईटेन्शन लाईन का राईट आफ वे 67 मीटर चोडा अर्थात 220 फीट चोडा रहता है 220 फीट तक इस लाईन का डेन्जर जोन रहता है विद्युत तार 100 फीट के करीब की चोड़ाई में चलते है तथा इसके सबसे छोटे विद्युत टावर 72X72 फीट लम्बाई चोडाई वाले तथा 200 फीट ऊचे होते है उल्लेखनीय होगा कि राईट आफ वे की 67 मीटर अर्थात 220 फीट चोडाई वाली जमीन में कोई भी स्थाई व अस्थाई निर्माण ट्यूबवेल बनाना सोलर प्लेट लगाना, पशु घर बनाना, पेड लगाना आदि पूर्णतया अवैध है।

(3) अप्रार्थीगण की उक्त लाईन के दो टावरो के मध्य बीच की दूरी 400 मीटर निर्धारत है अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम दुजोद की भूमि खसरा नम्बर 650 में एस–27 नम्बर का टावर प्रस्तावित है उसके आगे दूसरा टावर खसरा नम्बर 652 में एस–28 टावर प्रस्तावित है दोनो टावरो की मध्य की दुरी करीब 149 मीटर है जो निर्धारित दूरी से कम है उक्त टावर सं. एस–28 अनावश्यक रूप से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है एस–28 टावर के पश्चात हाईटेन्शन लाईन को दक्षिणी तरफ मोड़ी गई है। उक्त टावर नं. एस–28 जानबुझकर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की गर्ज से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है वरना जब लाईन की दिशा मोडनी थी तो टावर सं. एस 27 से भी दक्षिणी तरफ मोड़ी जा सकती थी और उससे मोड़ने पर जिस जमीन पर से लाईन जाएगी वह सारी जमीन बारानी है उस जमीन में कोई घर मन्दिर इत्यादि कुछ भी नही है जबकि टावर सं. एस–28 अनावश्यक रूप से स्थापित कर जिन लोगो को लाभ दिया जा रहा है उनके लिए यह टावर सं. एस–28 स्थापित किया जा रहा है एस–28 टावर स्थापित कर पावर ग्रिड कम्पनी को एक टावर का आर्थिक नुकसान बिना वजह भोगना पड रहा है।

(4) टावर सं. एस–28 के व टावर सं. एस–29 के मध्य प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 664, 666, 898 अवस्थित है भूमि खसरा नम्बर 666 में हाईटेन्शन के कोरीडोर के नीचे सोलर प्लेट, टयूबबेल, पत्थर की पट्टी, बालाजी महाराज का मन्दिर व आवासीय मकानात अवस्थित है यदि यह प्रस्तावित हाईटेन्शन लाईन स्थापित हो गई तो प्रार्थी के ट्यूबवेल की मोटर खराब होने पर व टयूबवेल की गहराई आदि करवाने पर वहा लोरींग मशीन नही लगा सकते यदि ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई तो वह कुआ ही बन्द

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

करना पडेगा कानूनन जहा 67 मीटर चोडाई का राईट आफ वे उपलबध नही है वहा पर से लाईन ले जाना नियमो के विरूद्ध है यदि अप्रार्थीगण विधुत लाईन ले जाते है तो प्रार्थी के पूर्व से ही अवस्थित सोलर प्लेट, ट्यूबबेल, पत्थरो की पट्टिया व बालाजी महाराज का मन्दिर अवैध हो जाऐगे, जबकि कानून के खिलाफ कार्यवाही अप्रार्थीगण कर रहे है।

(5) ग्राम दुजोद से जो आम रास्ता ग्राम गोकुलपुरा जाता है उस रास्ते से सटकर एक रास्ता खसरा नम्बर 648, 649, 652, 596 से होकर आम रास्ता बजाज ग्राम सांवली की तरफ जाता है इस रास्ते से ग्राम जनता दुजोद व आस पास के काश्तकार अपने खेतो में जाते है तथा ऊट लङ्घा ट्रेक्टर आदि ले जाते है रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा हुआ है तथा रास्ता कदीमी है अनावेदकगण खसरा नम्बर 652 में रास्ते की भूमि में विशाल टावर खड़ा कर आम रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है जिनका कि उन्हे कोई अधिकार नही है।

(6) प्रस्तावित टावर सं. एस–29 से लाईन आगे प्रार्थी की पत्नी श्रीमती अमृत शेखावत की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070/912 रकबा 100 हैक्टर से ले जाना प्रस्तावित है उल्लेखनीय होगा कि टावर सं० एस–29 से जो लाईन आगे ले जाना प्रस्तावित है वह लाईन करीब 636 मीटर आगे ले जाकर प्रार्थी की पत्नी की कृषि भूमि में बडा टावर 118 फीट लम्बा गुणा 100 फीट चोडा व 200 फीट ऊचा लगाया जाना प्रस्तावित है तथा श्रीमती अमृत शेखावत की कृषि भमि में बडा टावर स्थापित कर आगे लाईन कृषि भूमि खसरा नम्बर 844 ग्राम दुजोद मे से आगे ले जाना प्रस्तावित है श्रीमती अमृत शेखावत की कृषि मे से होकर बरसाती नाला है जो हर्ष की पहाडियो की तरफ से आता है तथा आगे सांवली बजाज ग्राम में अवस्थित तलाई में पानी चला जाता है कटाव क्षेत्र में बड़ा टावर खेत के बीचो बीच लगाया जाना प्रस्तावित है तथा प्रार्थी की पत्नी की कृषि भूमि में ट्यूबवेल बना हुआ है तथा ट्युबबेल पर विद्युत कनेक्शन का नम्बर आ गया है तथा जिसकी डिमाण्ड राशि 25,600/– रूपये दिनांक 11.10.2023 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. सीकर सहायक अभियन्ता कार्यालय ग्रामीण सीकर में जमा करवाये जा चुके है।

(7) प्रार्थी की पत्नी अमृत शेखावत की कृषि भमि खसरा नम्बर 1070/912 से पूर्व जो कृषि भूमि है तथा 1070/912 के पश्चात जो कृषि भूमि है वे बारानी है उनमें कोई मकान या ट्यूबवेल नहीं है खसरा नम्बर 844 में लाईन इन भूमियो में से होकर भी जा सकती है कोई बाधा या रूकावट नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(8) अप्रार्थीगण द्वारा हाईटेन्शन लाईन इस तरह से स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया है कि प्रार्थी से कोई दुश्मनी निकालनी हो प्रार्थी को टारगेट बनाकर उसके सभी खेतो में से लाईन गुजारी जा रही है तथा 1070/912 में सबसे बडा टावर एस–30, एस–31 खड़ा किया जाना प्रस्तावित किया है जबकि टावर सं० एस–27, एस–28 एस–29 पोल 72X72 फीट लम्बाई चोडाई वाले है। उपरोक्त हाईटेन्शन विधुत लाईन आमजन के लिए भी असुविधाजनक है व नुकसानदाई है, उसके लिए नगर विकास न्यास सीकर व कलेक्टर सीकर व तहसीलदार सीकर ग्रामीण व सभी जनप्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत दुजोद विधायक धोद व सांसद सीकर ने उक्त हाईटेन्शन लाईन को ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं. 13. 14, 15 में घनी आबादी से दूर ले जाने हेतु लिखा है व रूट चेन्ज करने हेतु लिखा है। ग्राम दुजोद की उतरी सीमा से प्रवेश कर जो हाईटेन्शन लाईन ले जाना प्रस्तावित वे भूमिया ग्राम पचायत दुजोद के वार्ड नं. 13, 14, 15 में पड़ती है जहा घनी आबादी बसी हुई है।

(9) यू.आई.टी. सीकर के सचिव ने जरिये पत्र क्रमांक न.वि.न्या/राजस्व/2024/7082 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के सार्वजनिक नोटिस दिनांक 30.12.2023 राजस्थान पत्रिका के सन्दर्भ में आपत्ति भेजकर लिखा है कि जिन भूमियों से विधुत लाईन से जाना प्रस्तावित है वे भूमिया मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में है तथा इन भमियों में यू.आई.टी. सीकर द्वारा बहुउदेशिय आवासीय योजना बसाने हेतु राज्य सरकार को पूर्व में दिनांक 02.08.2021 को प्रस्ताव भिजवाये हुये है प्रस्ताव राज्य सरकार के पास प्रक्रियाधीन है तथा इस लाईन के पास ही श्री कल्याण मेडिकल कालेज व सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल व टी बी अस्पताल अवस्थित है। इसलिये इस लाईन के प्रस्ताव को निरस्त कर अन्य सर्वे करवाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। तहसीलदार सीकर ग्रामीण ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/208 दिनाक 26.02.2024 द्वारा उक्त लाईन से गम्भीर जनहानि होने की सम्भावना व्यक्त की है। कलेक्टर सीकर ने अपने पत्र क्रमांक विकास/2024/06 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को आपत्ति आवेदन भेजकर लिखा है कि उक्त लाईन का पुनः सर्वे करवाकर उक्त लाईन को नगर विकास न्यास सीकर के मास्टर प्लान में शामिल क्षेत्र से बाहर रखते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाए।

(10) जिला कलेक्टर सीकर ने दिनांक 24.02.2024 को अप्रार्थीगण पावर ग्रिड लाईन का कार्य आगामी उच्च स्तरीय आदेशो तक स्थगित किए जाने की

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

आज्ञा पारित की तथा इस आदेश की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जो दैनिक अखवार आस पास दिनांक 25.02.2024 में उक्त न्यूज साया हुई है।

(11) अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त लाईन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के बारे में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 30.12.2023 को राजस्थान पत्रिका में साया की थी व 60 दिन में आपतिया आमत्रित की थी उल्लेखनीय होगा कि उक्त सार्वजनिक नोटिस में न तो विज्ञप्ति जारी करने के कोई डिस्पेच नम्बर है न ही किसी दिनांक का अंकन है न ही ई–मेल एड्रेस है न ही किसी अधिकारी के मोबाईल नम्बर है न ही किन किन खसरा नम्बर मे से लाईन जायेगी कहा कहा टावर प्रस्तावित है उसका उल्लेख है, तथा सीकर ग्रामीण तहसील के कालम में जो गांव लिखे है उनमे करीब 17 गांव दूसरी तहसील दांतारामगढ़ के लिखे है सार्वजनिक नोटिस अस्पष्ट व भ्रामक है तथा सार्वजनिक नोटिस में लिखा है कि प्रस्तावित विद्युत लाईन का नक्शा परियोजना प्रमुख के पास उपलब्ध है किन्तु परियोजना प्रमुख महोदय ने दिनांक 30.01.2024 को प्रार्थी को सूचित किया कि प्रस्तावित लाईन का नक्शा हमारे पास उपलब्ध नही है। अप्रार्थी सं. 1 का उक्त जवाब भ्रामक है तथा अनावेदक क्लीन हैण्ड से नही आये है तथा उक्त सार्वजनिक नोटिस में सीकर पावर ग्रिड की चीफ जनरल मैनेजर आफिस का उल्लेख तक नहीं किया है कि सीकर में भी हमारा आफिस है।

(12) प्रार्थी ने समयावधि में प्रस्तावित लाईन के बारे में आपत्ति दिनांक 22.01.2024 को अनावेदक सं. 1 के यहा प्रस्तुत की व उसमे इस आवेदन में उल्लेखित समस्त आपतियो का उल्लेख किया लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया बिना कारण बताए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर बिना वजह मनमाने तरीके से प्रार्थी की आपत्ति निरस्त फरमादी।

(13) प्रार्थी ने दिनांक 17.01.2024 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अप्रार्थी नं. 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुजोद मे से प्रस्तावित लाईन कौन–कौन से खसरा नम्बरान में से होकर जा रही है तथा टावर कहाँ प्रस्तावित है खसरा नम्बरान व नक्शा उपलब्ध करवाये। अनावेदक सं. 1 ने दिनांक 03.02.2024 को जवाब भिजवाया कि उनके पास खसरा नम्बरान उपलब्ध नही है तथा प्रस्तावित जाने वाली नई लाईन का खसरा नम्बर व किसी प्रकार का नक्शा उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी का उक्त जवाब ईवेजिव व टालमटोल करने वाला है जबकि उनके पास खसरा नम्बर व प्रस्तावित लाईन का सारा रिकार्ड उपलबा है।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(14) कानूनन कोई भी हाईटेन्शन विधुत लाईन डिजाइन करने से पूर्व तीन रूट पर सर्वे किया जाता है 765 के वी हाईटेन्शन लाईन का पूर्व में सर्वे ग्राम दुजोद की दक्षिणी तरफ किया गया था किन्तु उस रूट पर लाईन क्यो नही ले जाई जा रही है इस बाबत प्रार्थी ने जानकारी चाही तो अनावेदक ने अपने जवाब दिनांक 07.02.2024 में दुजोद गांव के दक्षिणी साईड से सर्वे होना तो स्वीकार किया है किन्तु उस सबै का कोई विवरण विभाग के पास नहीं है जवाब में लिखकर इवेजिव रिप्लाई दिया है।

(15) पावर ग्रिड के अधिकारियो को सरकारी निर्देश है कि विद्युत लाईन से काश्तकार को कम से कम नुकसान हो खेतो के बीचो बीच से लाईन नहीं ले जावे खेतो की सीव पर से लाईन ले जावे उनके मकान व टयुबवेल व पशु घर को बचाये, किन्तु अनावेदकगण मनमर्जी से अन्यथा प्रभावित होकर उक्त लाईन को ग्राम दुजोद कि वार्ड नं0 13. 14, 15 में से होकर ले जाने को प्रस्तावित किए जाने का कार्य किया है जो निरस्त होने योग्य है।

(16) अप्रार्थीगण ने बिना किसी तकनीकी आधार के विधुत लाईन को जिगजेग तरीके से मनचाहे स्थान से बिना किसी तकनीकी आधार के दिशा मोड कर प्रस्तावित लाईन स्थापित की जा रही है जिससे प्रार्थी के अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य मनमाना व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अभी तक टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत टेलीग्राफ लाईन स्थापत करने के लिए अनावेदकगण को शक्तिया प्रदान नहीं की गई है इसलिये प्रार्थी के आवेदन के निस्तारण से पूर्व व प्रार्थी की आपत्तिया सुनवाई से पूर्व उन्हे अधिनियम की शक्तियो का प्रयोग करने की अनुमति दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

(17) अभी तक प्रार्थी के खेतों में खड़े पेड पोधों का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है मुआवजा निर्धारित करने से पर्व उक्त पेड जो काफी संख्या में है काटा जाना न्यायोचित नहीं है क्यों कि पेड़ों के कटने के बाद मुआवजा राशि निर्धारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अभी तक प्रार्थी की कृषि भूमि का मुआवजा भी निर्धारित नहीं किया गया है इसलिये भी प्रस्तावित विद्युत लाईन को स्थापित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(18) अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1.10 हौक्टेयर, खसरा नम्बर 666 रकबा 2.19 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 898 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से 765 के वी डबल

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला

सर्किट भादला III सीकर II हाईटेन्शन विधुत लाईन स्थापित करने से व हरे पेड काटने से व खेत की सींव तारबन्दी व डोल फोडने से व खडढे खोदने से व खेत में प्रवेश करने से स्वयं व जरिये ऐजेन्ट व प्रतिनिधित बाज रहे च मौके की यथास्थिति बनाये रखे व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से बाज रहे।

2. आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. अनावेदक की ओर से वकील उपस्थित आये एवं जवाब पेश किया गया है है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में अप्रार्थीगण की 765 केवी डबल सर्किट हाईटेंसन लाइन भादला III सीकर II लाइन भादला बीकानेर से ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में से ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नंबर 13, 14, 15 से होकर आगे जाना प्रस्तावित है, यदि किसी कारणवश लाइन पूर्व निर्माण/ट्यूबवेल की दूरी विनिमय 63(iii) में निर्धारित दूरी से कम पाई जाएगी, तो नियमानुसार निर्धारित मुआवजा प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से विद्युत लाईन जाना प्रस्तावित है। उक्त लाइन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68(1) के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है, एवं निर्माण कार्य के दौरान लाइन कोरिडोर में अगर फसल/पेड़/ट्यूबवेल की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा नियमानुसार सम्बंधित विभाग के आकलन के आधार पर सत्यापन के बाद विभाग द्वारा देय होगा।

(2) लाइन की तकनीकी आवश्यकंताओं व विभिन्न मापदंडो को ध्यान में रखते हुए लाइन को मोड़ दिया जाता है। लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है। उपरोक्त खसरा नम्बरों में सर्वे कार्य पूरा होने के बाद टावर की वास्तविक जगह की जानकारी पता लगेगी।

(3) उल्लेखित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए रूट पर फॉरेस्ट व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां से लाइन ले जाना संभव नहीं है। वर्तमान रूप ही तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त है। ग्राम दुजोद व आस–पास का यह क्षेत्र जहां से लाइन प्रस्तावित है, का सर्वे जिला कलेक्टर सीकर द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर सीकर

गठित संयुक्त समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार लाइन के किसी भी घनी आबादी से होकर गुजरने का जिक्र नहीं है। उक्त लाइन के मार्ग में समिति के रिपोर्ट के अनुसार, लाइन किसी भी पूर्व निर्मित मकान या कॉलोनी से होकर जाने का जिक्र नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ भूमि गैर कृषि कार्य के लिए संपरिवर्तित की गई है जिसमें सर्वे के दौरान कोई निर्माण नहीं पाया गया।

(4) यह लाइन CEA द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। अतः किसी प्रकार की जनहानि की संभावना नहीं है। प्रस्तावित लाइन श्री कल्याण राजकीय मेडिकल महाविद्यालय, सीकर से लगभग 1000 मीटर दूर से गुजर रही है। महाविद्यालय में होने वाले विस्तार में कोई बाधा नहीं होगी। सार्वजनिक नोटिस जारी करने की दिनांक स्वाभाविक रूप से अखबार के प्रकाशन का दिनांक ही होता है, अतः अधिसूचना का दिनांक 30.12.2023 है। अन्य डिटेल्स जैसे कि ईमेल, संपर्क विवरण इत्यादि आप पावरग्रिड की अधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in से ले सकते हैं। पावरग्रिड कार्यालय प्लाट नं. 2–3, गजानंद वाटिका, जयपुर बीकानेर बाईपास, देवीपुरा, सीकर–332021 या 6C–104, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान–334001 पर संपर्क कर सकते है।

(5) प्राथमिक सर्वे के दौरान 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवो को भी चिन्हित किया जाता है, चूकी यह लाईन दांतारामगढ तहसील से गुजरती है अतः इस तहसील के गाँवो को भी चिन्हित किया गया है।

(6) प्रार्थी द्वारा प्राप्त आवेदन का जबाब, प्रार्थी के पते पर दिनाक 07.02.2024 को भिजवा दिया गया था। प्रार्थी के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2024 का जवाब पावरग्रिड के पत्रांक PGBIITL/NR-I/Bikaner/2289/22 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा दे दिया गया है। लाइन डिजाईन करने हेतु तीन रूट पर सर्वे किया जाता है जिसमें से तकनीकी जरूरत, सुरक्षा एवं वित्तिय मापदंड के अनुसार उपयुक्त लाइन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है तत–पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(7) भूमि का मुआवजा भारत सरकार द्वारा जारी 14 जून 2024 की नये दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।

(8) अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस आवेदक के अधिवक्ता ने आवेदन एवं लिखित बहस में दर्ज तथ्यों के अनुरूप तथा अनावेदक के अधिवक्ता ने जवाब आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं।

आवेदक के अधिवक्ता ने कथन किया है कि, उक्त हाईटेंशन लाईन गुजरने के कारण आवेदक की भूमि किसी भी काम की नहीं रही है। आवेदक उसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार के भी उपयोग में नहीं ले सकता है। जिस भूमि पर से हाईटेंशन लाईन गुजराना प्रस्तावित है अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है और जिस दर से मुआवजा दिया जाना तय किया गया है वह दर बाजार मूल्य से अत्यधिक कम है। अतः उक्त प्रस्तावित हाईटेंशन लाईन को अन्य स्थान पर प्रतिस्थापित करवाया जावे।

अनावेदक के अधिवक्ता ने कथन किया कि यह लाइन CEA द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। उल्लेखित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए रूट पर फॉरेस्ट व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां से लाइन ले जाना संभव नहीं है। वर्तमान रूप ही तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त है। ग्राम दुजोद व आस–पास का यह क्षेत्र जहां से लाइन प्रस्तावित है, का सर्वे जिला कलेक्टर सीकर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार लाइन के किसी भी घनी आबादी से होकर गुजरने का जिक्र नहीं है। उक्त लाइन के मार्ग में समिति के रिपोर्ट के अनुसार, लाइन किसी भी पूर्व निर्मित मकान या कॉलोनी से होकर जाने का जिक्र नहीं है। लाइन की तकनीकी आवश्यकताओं व विभिन्न मापदंडो को ध्यान में रखते हुए लाइन को मोड़ दिया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ भूमि गैर कृषि कार्य के लिए संपरिवर्तित की गई है जिसमें सर्वे के दौरान कोई निर्माण नहीं पाया गया। यदि किसी कारणवश लाइन पूर्व निर्माण/ट्यूबवेल की दूरी विनिमय 63(iii) में निर्धारित दूरी से कम पाई जाएगी, तो नियमानुसार निर्धारित मुआवजा प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। उक्त लाइन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68(1) के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है, एवं निर्माण कार्य के दौरान लाइन कोरिडोर में अगर फसल/पेड़/ट्यूबवेल की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा नियमानुसार सम्बंधित विभाग के आकलन के आधार पर सत्यापन के बाद विभाग द्वारा देय होगा। अतः आवेदक का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनसे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं।

(1) अप्रार्थीगण की 765 के.वी.डबल सर्किट हाईटेन्शन लाईन भादला III सीकर II लाईन भादला बीकानेर से ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में से ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं0 13 14, 15 से होकर आगे जाना प्रस्तावित है। उक्त लाईन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा नंम्बर 666 रकबा 2.19 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 898 रकबा 0. 03 हेक्टेयर में से जाना भी प्रस्तावित है।

(2) यह लाइन CEA द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए रूट पर फॉरेस्ट व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां से लाइन ले जाना संभव नहीं है। वर्तमान रूप ही तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त है। ग्राम दुजोद व आस–पास का यह क्षेत्र जहां से लाइन प्रस्तावित है, का सर्वे जिला कलेक्टर सीकर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार लाइन के किसी भी घनी आबादी से होकर गुजरने का जिक्र नहीं है। उक्त लाइन के मार्ग में समिति के रिपोर्ट के अनुसार, लाइन किसी भी पूर्व निर्मित मकान या कॉलोनी से होकर जाने का जिक्र नहीं है। लाइन की तकनीकी आवश्यकताओं व विभिन्न मापदंडो को ध्यान में रखते हुए लाइन को मोड़ दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान व क्षति पहुचाने की गर्ज से। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ भूमि गैर कृषि कार्य के लिए संपरिवर्तित की गई है जिसमें सर्वे के दौरान कोई निर्माण नहीं पाया गया। यदि किसी कारणवश लाइन पूर्व निर्माण/ट्यूबवेल की दूरी विनिमय 63(iii) में निर्धारित दूरी से कम पाई जाएगी, तो नियमानुसार निर्धारित मुआवजा प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। उक्त लाइन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68(1) के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है, एवं निर्माण कार्य के दौरान लाइन कोरिडोर में अगर फसल/पेड़/ट्यूबवेल की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा नियमानुसार सम्बंधित विभाग के आकलन के आधार पर सत्यापन के बाद विभाग द्वारा देय होगा।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(3) लाईन का रूट डायवर्ट किये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्युतीकरण राष्ट्रीय महत्व एवं जनसामान्य के कल्याण का कार्य है, जिन्हें बेवजह बाधित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र का विद्युतीकरण राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और ऐसे प्रकल्पों को रोका जाना या बाधित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(4) आवेदक इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने में भी असफल रहा है कि भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान विवाद सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को प्राप्त है अथवा नहीं।

6. परिमाणतः आवेदक की ओर प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 16 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट सपठित धारा–164 विद्युत अधिनियम 2003 अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

7. यह आदेश आज दिनांक **30 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलेक्टर, सीकर